



Neutral Citation No.2026:AHC:1051

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-45410 वर्ष 2025

प्रेमपाल और एक और आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अश्वनी कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची की पुनः पुकार की गयी है।
2. आवेदकों के अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार तिवारी और राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-0523 वर्ष 2025, बी.एन.एस., थाना-सूरजपुर, ज़िला: गौतम बुद्ध नगर की धारा 103(1), 115(2), 3(5) के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगते हैं।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदकों ने दो अन्य नामित आरोपी व्यक्तियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ 09.09.2025 को लगभग 00:30 बजे एक नेता (अब मृतक) और कुछ अन्य व्यक्तियों पर हमला किया और घायल किया।
5. आवेदकों के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि मृतक को साधारण चोटें आई हैं और मृत्यु का कारण मायोकार्डियल रोधगलन के कारण कार्डियोजेनिक शॉक पाया गया है, इस तरह, यह एक प्राकृतिक मृत्यु थी।
6. अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकों की ओर से भी एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। तत्काल प्राथमिकी एसआई अनिल कुमार द्वारा स्थापित की गई है, हालांकि आवेदकों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की ओर से प्राथमिकी प्रस्तुत प्राथमिकी से पहले दर्ज की गई थी, जिसे 2025 की प्राथमिकी संख्या-522 के रूप में दर्ज किया गया था। चूंकि इस मामले का प्रतिवाद किया जा रहा है, इसलिए इस समय यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा पक्ष आक्रामक था।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 11.09.2025 से जेल में बंद हैं, उनके खाते में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे।

8. तत्स्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और प्रस्तुत मामले का एक क्रॉस-संस्करण होने के कारण, इस समय यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा पक्ष हमलावर था, प्रथम दृष्टया, मुझे आवेदकों को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदकों- प्रेमपाल और गौरव, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होंगे।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)